89

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 483—दो/2002 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 07—12—2001 के द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 361/अपील/96—97

.....

1—विधाताराम पुत्र श्री महेश प्रसाद ब्रा0 (मृत)
वरिसान :—
1—धुवप्रसाद 2— उत्तम प्रसाद
3—ब्रम्हानन्द तीनो के पिता स्व. विधाताराम
4—प्रेमबती पत्नी स्व0 विधाताराम
सभी निवासी—ग्राम डिहिया पड़ान तहसील
मऊगंज जिला रीवा म0प्र0
5—संयोगिता पुत्री स्व0 विधाताराम
निवासी ग्राम पन्नी तहसील मऊगंज
जिला रीवा म0प्र0
2—श्रीमती रूकमिणी देवी विधवा
पत्नी स्व0 छोटेलाल ब्रा0
3—गोलू प्रसाद तनय स्व0 छोटेलाल
4—सत्यभामा देवी पुत्री स्व0 छोटेलाल
5—रामयश तनय महेश प्रसाद
निवासीगण दिहिया पड़ान तहसी
मऊगंज जिला—रीवा प्र0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1—श्री पंचरतन ब्रा0 पिता रामसुन्दर ब्रा0
2— अशोक कुमार ब्रा0
3. मुस0 गुलाब कली पतिराम सहोदर राम ब्रा0
4. श्री रामसागर तनय रामसहोदर राम ब्रा0
5. प्रेमसागर 6. रबि शंकर
7. मुस0 परगिया पति मानधाता राम ब्रा0
8.श्री रामलोचन 9.जय प्रकाश 10.राममणि

पुत्रगण राम मूरति ब्रा0
निवासी ग्राम डिहिया पड़ान तहसील–मऊगंज
जिला–रीवा म0प्र0

.....अनावेदक

.....

श्री अरविन्द पाण्डे अभिभाषक, आवेदकगण
श्री शंभूनाथ शुक्ला अभिभाषक, अनावेदक
कमांक –1 से 6 एवं 8, 10 की ओर से

.....

आदेश

(आज दिनांक 13/11/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–12–2001 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पदाधिकारी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में ग्राम डिहिया में स्थित 25–13 भूमि के बटनवारा संबंधी आवेदन प्रथक–प्रथक चार किता में पेश किया गया जिसे अधीन्स्थ न्यायालय द्वारा प्रथक प्रथक प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 24.1.97 को अलग अलग आदेश पारित किया गया इसी आदेश से परिवेदित होकर अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किया उनके द्वारा दिनांक 31.7.97 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को स्थिर रखा गया है। इसी से दुखी होकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। अपर आयुक्त रीवा द्वारा प्रकरण निरस्त किये गये। इसी से दुखी होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं।

3–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय का प्रकरण देखने से अपीलर्थी के तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता विचारण न्यायालय ने चारो प्रकरणों में बिधिवत जाचं कर अपीलार्थीगण का पक्ष समर्थन का अवसर दिया और उसके बाद ही साक्ष्यों का विषलेशण करते हुए आदेश पारित किया है। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने अपीलाधीन आदेश में विचारण न्यायालय की कार्यवाही को बिधिसंगत माना है तथा यह भी उल्लेख किया है कि अपीलार्थीगण द्वारा जहां तक वादग्रस्त भूमि के बारे में स्वत्व का प्रश्न उठाया गया है तो वे

इस संबंध में सिविल बाद दायरा करने के लिये स्वतंत्र है। विचारण न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी का अभिमत व निष्कर्ष उक्त चारो ही प्रकरणों के बाद समान है और ऐसी स्थिति में द्वितीय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने का प्रश्न नहीं उठता है। चारों ही प्रकरणों के तथ्यों की स्थिति उपरोक्तानुसार है जिस पर बार–बार टिप्पणी करने का प्रश्न नहीं उठता है।

4– परिणामस्वरूप अनुविभागीय अधिकारी के अपीलधीन आदेश दिनांक 31.07.97 में अपर आयुक्त रीवा द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 7.12.2001 स्थिर रखने योग्य है।

5–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 361/अपील/96–97 में पारित आदेश दिनांक 7.12.2001 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर